

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 का कार्यवृत्त

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 27.03.2023 को समय प्रातः 11.00 बजे से विश्वविद्यालय सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

01	प्रो० ओंकार सिंह , कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	श्री आर० के० श्रीवास्तव, अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
03	श्री प्रशान्त आर्य, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री अरविन्द सिंह पांगती, सयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
05	श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उपसचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
06	श्री श्रीप्रकाश तिवारी, उप-सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
07	श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्री एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड	सदस्य
08	प्रो० सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।	आमंत्रित सदस्य
09	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य/सचिव

सर्वप्रथम मा० कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय (विनिश्चय)
01	वित्त समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	वित्त समिति के कार्यवृत्त/निर्णय/अनुपालन आख्या अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा 19वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा कृत कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया एवं 19वीं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों में से शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
02	वित्त समिति की 19वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।		
03	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह फरवरी, 2023 तक का वास्तविक आय-व्ययक वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :- वास्तविक आय : ₹0 24.71 करोड़ वास्तविक व्यय : ₹0 12.31 करोड़ + बचत : ₹0 12.40 करोड़	वित्तीय वर्ष 2022-22 हेतु अनुमानित आय ₹0 23.40 करोड़ के सापेक्ष ₹0 24.69 करोड़ की वास्तविक आय तथा ₹0 23.13 करोड़ के अनुमानित व्यय के सापेक्ष ₹0 12.39 करोड़ का वास्तविक व्यय हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 का माह फरवरी, 2023 तक का वास्तविक आय एवं व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	वित्त समिति द्वारा चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 के माह फरवरी, 2023 के वास्तविक आय-व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया :- वास्तविक आय : ₹0 24.71 करोड़ वास्तविक व्यय : ₹0 12.31 करोड़ वित्त समिति के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में कॉर्पसफंड बनाये जाने की अपेक्षा की गई।

		<p>वास्तविक आय : रु0 24.71 करोड़ वास्तविक व्यय : रु0 12.40 करोड़ साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 टनकपुर संस्थान के भवन निर्माण हेतु रु0 330.00 करोड़ एवं पुरस्कार हेतु रु0 33.33 लाख की धनराशि शासकीय अंश के रूप में प्राप्त हुयी थी । इसमें पूर्व वर्षों की शेष धनराशि रु0 90.00 लाख सहित रु0 122.00 लाख एवं रु0 330.00 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 का शासकीय अंश सहित वास्तविक आय-व्ययक वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	
<p>बिन्दु संख्या 04</p>	<p>वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ :- अनुमानित आय : रु0 25.57 करोड़ अनुमानित व्यय : रु0 21.36 करोड़ + बचत : रु0 04.01 करोड़</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित/विस्तृत आय-व्ययक अनु0 आय : रु0 25.57 करोड़ अनु0 व्यय : रु0 21.36 करोड़ +बचत:रु0 04.01 करोड़ आय मद :- मुख्यतः परीक्षा शुल्क/सम्बद्धता शुल्क एवं विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध धनराशि पर अर्जित ब्याज से आय अनुमानित की जा रही है। शेष मदों की आय विगत वर्षों की वास्तविक आय पर आधारित है।</p>	<p>वित्त समिति द्वारा आगामी वित्त वर्ष 2023-24 हेतु अनुमानित आय-व्यय पर विस्तृत चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया। अनु0 आय : रु0 26.88 करोड़ अनु0 व्यय : रु0 21.36 करोड़ + बचत : रु0 05.52 करोड़ साथ ही वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय को यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय के सापेक्ष व्यय के उपरांत विश्वविद्यालय के पास रु0 5.00 करोड़ की अतिरिक्त निधि बचत के रूप में उपलब्ध रहें ताकि अपरिहार्य स्थिति में इसका प्रयोग विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार किया जा सकें।</p>

(Handwritten signatures and initials in blue and green ink)

		<p>व्यय मद :- मुख्य रूप से वेतन मद/कार्यालय व्यय एवं विकास मदों में व्यय प्रस्तावित है। शेष मदों में विगत वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर व्यय अनुमानित किया गया है।</p>	
<p>बिन्दु संख्या 05</p>	<p>विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत (एस0पी0ए0) विश्वविद्यालय के 05 संघटक तकनीकी संस्थानों (पिथौरागढ़/गोपेश्वर/बौन उत्तरकाशी/सुद्धौवाला एवं टनकपुर) के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि को दिनांक 31.03.2024 तक विस्तार हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</p>	<p>संघटक तकनीकी संस्थान गोपेश्वर एवं सुद्धौवाला के निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। तकनीकी संस्थान गोपेश्वर का आगणन पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु कार्यवाही गतिमान है। इसके अलावा शेष 03 संस्थानों (पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/टनकपुर) में से पिथौरागढ़ हेतु आवंटित भूमि एन0डी0आर0एफ0 को आवंटित किये जाने एवं अन्य स्थान पर पिथौरागढ़ संस्थान स्थापित किये जाने व बौन उत्तरकाशी को विश्वविद्यालय कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने हेतु शासन स्तर की स्वीकृति/निर्णय प्रतिक्षित रहने व निर्माण कार्य शासकीय अंश के अभाव में बाधित रहे हैं।</p> <p>अतः उक्त संस्थानों हेतु पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष शेष निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्माण कार्य की समय सीमा को लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर दिनांक 31.03.2024 तक</p>	<p>वित्त नियंत्रक द्वारा 05 संघटक संस्थानों के अनावासीय भवन निर्माण हेतु योजनावार वित्त समिति के सदस्यों को वर्तमान स्थिति एवं निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर सदन को अवगत कराया गया। इसके उपरांत वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गोपेश्वर/सुद्धौवाला) हेतु पूर्ण शासकीय/यू0टी0यू0 अंश अवमुक्त किया जा चुका है, अतः ऐसे संस्थानों को आगामी छः माह (दिनांक 30.09.2023 तक) का समय विस्तार प्रदान किया गया तथा इनके विधिवत हस्तांतरण हेतु कार्यवाही संस्था से इन्वेन्ट्री प्राप्त किये जाने व योजना हस्तगत किये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। एस0आइ0टी0 पिथौरागढ़/बौन उत्तरकाशी के निर्माण हेतु शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय लिये जाने प्रस्तावित है व टनकपुर हेतु शेष शासकीय अंश उपलब्ध कराया जाना शेष है। इन संस्थानों को अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने हेतु समय अवधि विस्तारण को अग्रेत्तर दिनांक 31.03.2024 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर समय विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही योजनाओं के हस्तांतरण एवं कार्यों के समयान्तर्गत निष्पादन हेतु परियोजना पर्यवेक्षण समिति का गठन किये जाने एवं इस कमेटी गठन हेतु मा0 कुलपति/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।</p>

